

राजकीय इंजनीयरिंग कालेज बिजनौर

चान्दपुर बिजनौर – 246725

पत्रांक सं०:रा०इ०का० / छा०प्र० / आ०सू० / 057

दिनांक: 24 / 07 / 2023

—:: अतिआवश्यक सूचना ::—

संस्थान में अध्ययनरत् सभी छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र – छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2023 – 24 में सभी के द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु निम्न निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है –

1. सभी के द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन में अपने **पिता के आय प्रमाण पत्र** को लगाना अनिवार्य है किसी भी स्थिति में छात्र-छात्रा के नाम का आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यदि अपने (स्वयं) नाम के आय प्रमाण पत्र को लगाया जाता है तो समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार संस्थान स्तर से ही आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।
2. छात्र-छात्रा के पिता के जिवित न होने की दशा में छात्र की माता का आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। विषम परिस्थितियों में (दोनों के जिवित न होने की दशा में साक्ष्य प्रस्तुत करने पर) छात्र के अभिभावक का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
3. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले सभी छात्रों को आवेदन के साथ अपने पिता के आधार कार्ड व पेन कार्ड की प्रति को लगाना अनिवार्य है।
4. सभी छात्रों की **बायोमेट्रिक उपस्थित 75 प्रतिशत से अधिक** होने के उपरान्त ही छात्र के आवेदन को संस्थान स्तर से अग्रसारित किया जायेगा। बायोमेट्रिक उपस्थित 75 प्रतिशत से कम होने की दशा में छात्र के छात्रवृत्ति आवेदन को संस्थान स्तर से ही निरस्त कर दिया जायेगा।

उक्त निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये। निर्देशों का पालन न किये जाने की दशा में छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त होने एवं किसी भी कार्यवाही हेतु छात्र-छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।



(सन्तोष कुमार)

नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ

राजकीय इंजनीयरिंग कालेज बिजनौर

प्रतिलिपि:—

1. मा०निदेशक महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. Add. Nodal Officers को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संस्थान/छात्रावास सूचना पट्ट।
6. विभागीय पत्रावली।

(सन्तोष कुमार)



समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
UTTAR PRADESH



योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश



अनीम अट्टण
मुख्य मंत्री (संयुक्त प्रयोग)
समाज कल्याण, अनुभवी प्रति एवं
जनकति कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश



संजीव कुमार गौड
मुख्य मंत्री
समाज कल्याण, अनुभवी प्रति एवं
जनकति कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश

छात्रवृत्ति योजना


बेहतर भविष्य की ओर...

<https://scholarship.up.gov.in>

आवेदन कैसे करें ?



भुगतान प्रक्रिया



पात्रता

- ▲ उ०प्र० के निवासी हों
- ▲ उपस्थिति 75% से अधिक
- ▲ परिवार की वार्षिक आय

	सामान्य / अल्पसंख्यक वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति/ जनजाति
पूर्वदशम	< ₹ 2.50 लाख	< ₹ 2.00 लाख	< ₹ 2.50 लाख
दशमोत्तर	< ₹ 2.00 लाख	< ₹ 2.00 लाख	< ₹ 2.50 लाख

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें



<https://scholarship.up.gov.in>